"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकिट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 441] रायपुर, शनिवार, दिनांक 28 सितम्बर 2013—आश्विन 6, शक 1935

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-64/2009/29/खाद्य-2 .— राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (क्र. 20 सन् 2013) की धारा 18 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (क्र. 68 सन् 1986) की धारा 9 के खण्ड (ख) के अंतर्गत स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 16 में निर्दिष्ट राज्य खाद्य आयोग की शक्तियों के प्रयोग और उसके कृत्यों का पालन करने के लिए अभिहित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 10-64/2009/29/खाद्य-2 .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28 सितम्बर, 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

Raipur, the 28th September 2013

NOTIFICATION

No. F 10-64/2009/29/Food-2.— In exercise of the Powers conferred under Section 18 of the National Food Security Act, 2013 (No. 20 of 2013), the State Government, hereby, designates the Chhattisgarh State Consumer Dispute Redressal Commission established under clause (b) of Section 9 of the Consumer Protection Act, 1986 (No. 68 of 1986) to exercise the Powers and to perform the functions of the State Food Commission referred to in Section 16 of the National Food Security Act, 2013.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.